

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2017 सत्र
दैनिक कार्य सूची
शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 (चैत्र 3, 1939)
समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री :-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

- (i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष 2017 का प्रतिवेदन क्रमांक-1,
- (ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2017 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,
- (iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्रमांक-5,
- (iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन राज्य का वित्त वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्रमांक-6, तथा
- (v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वर्ष 2017 का प्रतिवेदन क्रमांक-3, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

- (i) मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट और लेखा वित्तीय वर्ष 2015-2016, तथा
- (ii) मध्यप्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट और लेखा वित्तीय वर्ष 2015-2016, एवं

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार -

- (i) एफ-ए-3-11-2015-1-पांच (19), दिनांक 31 मार्च, 2015,
- (ii) एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (02), दिनांक 02 जनवरी, 2016,
- (iii) एफ-ए-3-53-2015-1-पांच (38), दिनांक 01 दिसम्बर, 2015,
- (iv) एफ-ए-3-58-2015-1-पांच (44), दिनांक 17 दिसम्बर, 2015, तथा
- (v) एफ-ए-3-60/2015-1-पांच (11), दिनांक 22 जनवरी, 2016

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, आरिफ अकील, सदस्य, भिण्ड जिले में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य, इंदौर शहर में अतिरिक्त फायर स्टेशन खोले जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के अनेक विद्यालयों में पहुंच मार्ग न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले की नगर परिषद विजयपुर में बी.डी.आर.एफ योजनांतर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य, धार जिले के श्री राजेन्द्र सूरी साख सहकारी संस्था राजगढ़ द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य, जबलपुर के केंट क्षेत्र में पट्टे की लीज समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर स्थित मेडिकल कालेज भवन का हस्तान्तरण न होने की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

- (8) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना नगर पालिका द्वारा निविदा जारी में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (9) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के राजस्व अनुविभागीय कार्यालय लांजी का राजपत्र में प्रकाशन न होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.
- (10) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नई कृषि दवा नीति के कारण कीटनाशक व्यापारियों के बेरोजगार होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (11) श्री अजय सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम हिनौती स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (12) डॉ. मोहन यादव, सर्वश्री बाबूलाल गौर, सचिन यादव, सदस्य, उज्जैन में नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना चालू न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले में राशि जमा होने के बाद भी सिंचाई हेतु विद्युत ट्रांसफार्मर न लगाये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (14) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले में अनुबंध के अनुसार उदवहन सिंचाई योजना का कार्य न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (15) डॉ. रामकिशोर दोगने, श्री आशीष गोविंद शर्मा, श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, प्रदेश में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (16) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, आलोट क्षेत्र में शुगर मिल की रिक्त भूमि को भूमि स्वामी का अधिकार प्रदान न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (17) श्री सतीश मालवीय, सदस्य, ग्राम पंचायतों को मिलने वाली पंच परमेश्वर राशि बंद किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (18) श्रीमती ऊषा चौधरी, श्री शंकर लाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम मझगवां निवासी एक युवती की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (19) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, कृषक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वैजनाथ के संचालक मंडल के विरुद्ध कार्यवाही न होने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (20) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले की नलजल योजनाएं बंद होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (21) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा नलजल कनेक्शन हेतु अलग अलग नीति निर्धारित किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (22) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश में उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन में गलत नीति से कृषकों में रोष होने की ओर राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (23) श्रीमती ऊषा चौधरी, श्री शंकर लाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले में अवैध क्रेशर मशीन चालू होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (24) श्री के.पी. सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम भौंती स्थित विद्यालय के भवन का निर्माण न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (25) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच शहर की पेयजल आवर्धन योजना का कार्य अपूर्ण होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (26) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य, दमोह जिले के हटा नगर स्थित चण्डीमंदिर के पास से बिजली की लाईन से दुर्घटनाएं होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.
- (27) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, उज्जैन स्थित जिनिंग फैक्ट्री की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (28) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा दूध उत्पादकों का शोषण किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (29) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, सिंगरौली जिले के हिण्डालको के विस्थापितों को रोजगार न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (30) श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव को तहसील न बनाये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (31) कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर कृषि उपज मंडी में कृषकों की उपज का भुगतान न होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (32) कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य, खिलचीपुर एवं जीरापुर क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्ड पंप न खोदे जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (33) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, नागदा स्थित लैक्सेस उद्योग द्वारा प्रदूषण की रोकथाम न किये जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.
- (34) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, प्रदेश के आटो मोबाईल्स डीलर्स द्वारा ग्राहकों से अवैध वसूली किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, सिवनी जिले के बरघाट पुलिस द्वारा चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले में धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी में कृषकों का शोषण किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) कुँवर हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा में पुलिस संरक्षण में चोरी की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना विकास खंड अंतर्गत भू-जल स्तर नीचे जाने से हैण्ड पंप संधारण में कठिनाई होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री दिनेश राय (मुनमुन), सदस्य, सिवनी क्षेत्र में विद्युत के अस्थायी (टी.सी.) कनेक्शन से नागरिकों को परेशानी होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य, धार जिले की राजगढ़ नगर परिषद द्वारा शासकीय भूमि पर दुकानों का अवैध निर्माण करवाए जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, सदस्य, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कृषकों से जबरिया विद्युत बिल की वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) सर्वश्री रामनिवास रावत, दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले में चंबल मुख्य नहर के फूटने से फसल नष्ट होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल स्थित कैंसर अस्पताल में मरीजों का समुचित इलाज न होने की ओर राज्यमंत्री भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार क्षेत्र में उपभोक्ताओं को फर्जी बिल दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले में फीडर सेपरेशन के कार्य में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन संभाग की कृषि उपज मंडियों में कृषकों की उपज का तुरन्त भुगतान न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित खाद्यान्न में मिलावट होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले में अनाज का उचित भण्डारण न किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) सर्वश्री दुर्गालाल विजय, रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के कराहल में चोरी की घटनाएं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले में हीरा व्यवसाय के उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, अनिल फिरोजिया, सदस्य, राष्ट्रीय विकास योजना के तहत कृषकों को सब्जी विस्तार योजना का लाभ न मिलने की ओर राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री दुर्गालाल विजय, इन्दर सिंह परमार, सदस्य, प्रदेश में निजी विद्यालयों एवं बुक सेलरों की सांठ-गांठ से अभिभावकों का शोषण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(54) श्रीमती प्रमिला सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पैलवाहर स्थित छात्रावास में अधीक्षिका द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(55) श्री यशपालसिंह सिसौदिया, सदस्य, प्रदेश में दुग्ध महासंघ द्वारा दुग्ध संग्रहण का कार्य एनजीओ को देने के कारण दुग्ध संघ सोसाईटी से जुड़े किसानों में असंतोष होने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(56) पं. रमेश दुबे, सदस्य, होशंगाबाद रोड की गणेशनगर कालोनी का विकास कार्य न होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(57) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा एवं सतना जिले में इलाज के अभाव में बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(58) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इंदौर शहर में दूषित पेयजल से बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री गिरीश गौतम, सभापति, प्राक्कलन समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति, शासकीय आश्रमसनों संबंधी समिति का चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उनतीसवां, तीसवां, इत्तीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्रीमती रंजना बघेल, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) प्रस्तुत करेंगी.

(4) श्री अंचल सोनकर, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का उन्नीसवां से उन्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सभापति, छात्रों द्वारा मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या किये जाने संबंधी सामाजिक समस्या के समाधान हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
 - (क) परासिया में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने,
 - (ख) ग्राम जमुनिया जेटू से मानकादेही मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ग) ग्राम साजवा से खारापिण्डरई तक रोड का निर्माण किये जाने,
- (2) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
 - (क) ग्राम पीपरवानी में हाई स्कूल खोले जाने, तथा
 - (ख) ग्राम डोभी के शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में विज्ञान एवं कामर्स की कक्षाएँ संचालित किये जाने,
- (3) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के सेवढा में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री भवन का निर्माण किये जाने,
- (4) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन शहर के -
 - (क) दशहरा मैदान में खेल स्टेडियम बनाये जाने,
 - (ख) शंकरपुर मक्की रोड पर शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, तथा
 - (ग) इंदौर टेक्सटाईल मिल के श्रमिकों को टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस. मुआवजा राशि दिलाये जाने,
- (5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के -
 - (क) ग्राम निगौरा के बदियारा टोला से कछरा टोला तक विद्युतीकरण किये जाने,
 - (ख) दमेहडी रोड से पडरी टोला बेलघाट आश्रम तक पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ग) ग्राम बेनीवारी से दूधी तक विद्युत लाईन का नवीनीकरण किये जाने,
- (6) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम आमनाला से अमोली एवं बरेली तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (7) श्री वीर सिंह पंवार, सदस्य, विदिशा जिले के -
 - (क) ग्राम ऊघर से उमरिया तक रोड एवं पुलिया का निर्माण किये जाने,
 - (ख) ग्राम रोशनपिपरिया से चमरयाई तक रोड का निर्माण किये जाने,
 - (ग) ग्राम शहरवासा से कुल्हार तक रोड बनाये जाने,
 - (घ) ग्राम मुट्टरा से बिहारीपुर तक रोड एवं पुलिया का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ङ) ग्राम बन्डोरा से जरहा तक रोड बनाये जाने,
- (8) श्री हरवंश सिंह राठौर, सदस्य, सागर जिले के -
 - (क) ग्राम कंडवा के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
 - (ख) ग्राम सेसई साजी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
 - (ग) ग्राम अदावन के सेवराघाट धसान नदी पर स्टापडेम स्वीकृत किये जाने, तथा
 - (घ) ग्राम बगरोही के चननपुरा घाट पर स्टापडेम निर्माण किये जाने,
- (9) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के -
 - (क) ग्राम बंडिया राठौर में 220 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने,
 - (ख) ग्राम पंथपिपलौदा में 220 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने, तथा
 - (ग) ग्राम बोरखेडी से जोगणिया माता मंदिर तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (10) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के -
 - (क) ग्राम महाराजपुर में शासकीय कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
 - (ख) ग्राम डुहली में कन्जीघाट के मिन्दरयाउ नदी पर पुल का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ग) ग्राम अनघोरी में छिन्दौर नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
- (11) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम झुकेही में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन निर्माण किये जाने,
- (12) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के -
 - (क) हनुमना बस स्टेण्ड का स्थल परिवर्तन कर बडकुडा खसरा क्र. 512 में स्थापित किये जाने,
 - (ख) ग्राम भमरहा तथा अन्य ग्रामों में नव निर्मित सिंचाई तालाब (बांध) का सीवेज रोकने एवं नहर का निर्माण किये जाने,
 - (ग) ग्राम दुगौली से गेंदुरहर पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
 - (घ) ग्राम हाटा पर्यटन स्थल में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,
- (13) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के -
 - (क) ग्राम गेलाखेडी में नवीन हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,
 - (ख) ग्राम सगवाली में नवीन हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,
 - (ग) ग्राम लसुडिया मंसूर में नवीन हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,
 - (घ) ग्राम कलापिपल्या में नवीन हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने, तथा
 - (ङ) ग्राम इन्दौख से पाताखेडी तक नवीन सड़क बनाये जाने,
- (14) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -
 - (क) नगर परिषद बनखेडी के वार्ड क्रमांक - 03 में सीमेन्ट कांक्रीट रोड का निर्माण किये जाने,
 - (ख) नगर परिषद बनखेडी वार्ड क्र. 09 सरस्वती कालोनी में पक्के नाले का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ग) भोपाल शहर में वार्ड नं. 46 शिवाजी नगर में कांक्रीट रोड का निर्माण किये जाने,
- (15) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
 - (क) खुजनेर नगर में आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जाने,
 - (ख) ग्राम बखेड़ से पाडल्याखेडी के बीच सड़क व पुलिया का निर्माण किये जाने, तथा
 - (ग) खुजनेर नगर को तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

- (16) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के -
(क) ग्राम मेनहा की नदी पर घाट का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम मुडवारी की नदी पर घाट का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम झिरमिला की नदी पर घाट का निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम मुराछ की नदी पर घाट का निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम इमलिया में नदी पर घाट का निर्माण किये जाने,
- (17) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) ब्यावरा के सिविल अस्पताल के पोस्ट मार्टम रूम में फ्रीजर स्थापित किये जाने,
(ख) ग्राम मऊ से लखनवास मार्ग के पुटी नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम सुन्दरपुरा में तालाब का निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम नापानेरा के तालाब का गहरीकरण किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम पीपल्या पैड़ात में मजरे के मध्य नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (18) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य, सिंगरौली जिले के -
(क) ग्राम निगरी में जगत नारायण सिंह गौड़ के घर से जयवीर सिंह के घर तक सी.सी. रोड बनाये जाने,
(ख) ग्राम निगरी के आदिवासी बस्ती एवं हरिजन बस्ती में नलकूप खनन कर सबमर्सीबल पंप लगाये जाने,
(ग) ग्राम निगरी की आदिवासी बस्ती में विद्युतीकरण किये जाने,
(घ) ग्राम निगरी में स्कूलटोला शंकर सिंह के घर से रंगदेव सिंह के घर तक सी.सी.रोड का निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम निगरी में नारायण पनिका के घर से बब्बी पनिका के घर तक सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
- (19) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के -
(क) ग्राम बड़ागांव से राजस्थान सीमा तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम चाचौड़ा के तालाब का गहरीकरण किये जाने,
(ग) ग्राम दिरोली से मोहरीपुरा तक सड़क बनाये जाने,
(घ) ग्राम चाचौड़ा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नवीन भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम ऊमरथाना में शासकीय बालिका छात्रावास भवन स्वीकृत किये जाने,
- (20) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के -
(क) ग्राम समनापुर से मुक्की रोड का पुनः निर्माण किये,
(ख) ग्राम पंडाटोला से देवरी मेटा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम छपरवाही के काशीराम टोला में बिजली उपलब्ध कराये जाने,
(घ) ग्राम बैगाटोला एवं अन्य ग्रामों में बिजली उपलब्ध कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम करेली से रजमा चौक तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (21) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के -
(क) हैदरगढ़ मुहल्ले में एक नवीन हैण्डपंप खनन किये जाने,
(ख) ग्राम इनायतपुर खेडा में पुलिया का निर्माण स्वीकृत किये जाने,
(ग) ग्राम त्यौदा की बस्ती में एक नवीन हैण्डपंप स्थापित किये जाने,
(घ) ग्राम मढ़ियापोनिया में एक नवीन हैण्डपंप खनन किये जाने, तथा
(ङ) ग्राम मढ़ियाकैंथोरी में बाबा साहब के पास वाले मोहल्ले में एक नवीन हैण्डपंप खनन किये जाने,
- (22) श्री आर. डी. प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) ग्राम मनवारा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय एवं अन्य स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) लवकुश नगर के ग्राम भैराही, हिडोरावारी एवं नगरौली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक शालाओं में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम गौरीहार में शासकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने एवं कन्या माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(घ) ग्राम कितपुरा के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (23) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य, विदिशा जिले के -
(क) किडी सिरोंज की शासकीय माध्यमिक शाला में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम भीला से मुख्य सड़क तक मदनखेडी चौराहा तक रोड का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) नगर परिषद लटेरी में तालाब के नजदीक बालमिक भवन के पास बैडमिन्टन हॉल बनाये जाने,
- (24) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के -
(क) ग्राम हरानाबाद जोड़ में हैण्डपंप स्थापित किये जाने,
(ख) ग्राम दुर्गपरा में बिजली वितरण केन्द्र की स्थापना किये जाने, तथा
(ग) आगर जिले के ग्राम मोयाखेडा से खेलागांव टोलक्याखेडा को हाईटेंशन विद्युत लाईन से जोड़े जाने,
- (25) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के -
(क) ग्राम सुरजना से मनोहरपुरा तक रोड का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम मुहालकलां में समानी नदी पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम रिजगांव से जुगरिया तक पक्की रोड का निर्माण किये जाने, तथा
(घ) ग्राम कडोला उबारी के मटकूल नदी पर स्टापडेम बनाये जाने,

- (26) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम बिछुआ की प्राथमिक शाला में शिक्षकों की कमी को पूरा किये जाने,
- (27) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के -
(क) ग्राम विजय सोता के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) बोडिडहा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम देवरी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम चादौरी नवाटोला के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ङ) ग्राम मऊ की चंदैनी बेहरा में स्टापडेम कम रपटा बनाये जाने, तथा
(च) ग्राम मऊ के बघर्रा नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
- (28) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) ग्राम कुरेला से रोहणी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम केरपानी एवं उमरिया (चिनकी) को 10 बिस्तरों का अस्पताल बनाये जाने,
(ग) ग्राम आमगांव में शीघ्र ही शाला भवन एवं आर.एम.एस.ए. मद से कम्प्यूटर लेब की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा
(घ) ग्राम करेली की शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (29) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम देवरी (मवई) जलाशय के कन्हैयाकला तक नहर का विस्तारीकरण किये जाने,
(ख) ग्राम चरगवां से खिरहनी तक सीधा मार्ग बनाये जाने,
(ग) बहोरीबंद विकासखण्ड में कलरहाई जलाशय का निर्माण किये जाने, तथा
(घ) ग्राम पटीराजा छपरी एवं अन्य ग्रामों में सिंचाई हेतु जलाशय का निर्माण किये जाने,
- (30) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के -
(क) ग्राम सैलवाड़ा के शासकीय हाई स्कूल में दो अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम सारसबगली के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम नोहटा में शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल की बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने, तथा
(घ) ग्राम सहजपुर की शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (31) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के -
(क) ग्राम कमलापुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम चापड़ा में पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
(ग) बागली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस व एक्सरे मशीन की सुविधा प्रदान किये जाने, तथा
(घ) ग्राम टिपरास से मेलपिपल्या मार्ग पर ब्रिज का निर्माण किये जाने,
- (32) पं. रमेश दुबे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -
(क) ग्राम नवेगांवगौड़ एवं अन्य ग्रामों में पेंच बांध से अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध किये जाने, तथा
(ख) ग्राम माचागोरा में हाई स्कूल भवन का निर्माण किये जाने,
(ग) भोपाल शहर के चूना भट्टी स्थित जानकी नगर कालोनी को नगर निगम को हस्तांतरण किये जाने,
- (33) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के -
(क) ग्राम लखनपुर पिंडरई लाहोंद मोड़ का मार्ग निर्माण किये जाने,
(ख) इमलिया मार्ग की हिरन नदी पर पुल का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम मड़ोद से मुडिया तक मार्ग का निर्माण किये जाने, तथा
(घ) मुडिया मड़ोद मेंहगवांहार के मध्य सुहार नदी पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
- (34) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -
(क) ग्राम धावा से सरजूपुरा तक पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम दानू बंजारे का पुरा में विद्युतीकरण किये जाने, तथा
(ग) श्यामपुर से धौरी बाबड़ी नहर से काऊपुरा व्हाया रमोलापुरा, झोपड़ी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (35) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के एन.एच. 75 एवं एन.एच. 76 हरपालपुर बी.टी. रोड बनाये जाने हेतु राशि स्वीकृत किये जाने,
- (36) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के -
(क) सुभाष नगर वार्ड में शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल पगारा में सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
(ख) राजीव नगर वार्ड में हार्डवेयर की दुकान से साईं वाटिका गेट तक नाली का निर्माण किये जाने,
(ग) 12 स्थानों पर टीनशेडों का निर्माण किये जाने,
(घ) गुरुगोविन्द सिंह वार्ड में बड़े पुल के पास नाले का निर्माण किये जाने, तथा
(ङ) पंतनगर में राजकुमार एस.टी.डी. से धमेन्द्र पटेल के मकान तक सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
- (37) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के -
(क) ग्राम बरेला से महगवां, हिनौतिया, पिंडरई, बारहा मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(ख) पनागर के लोक सागर तालाब से बल्हवारा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम सिलुआ से नर्मदा तट तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
(घ) पनागर नगर स्थित परियट नदी पर बने पुल का चौड़ीकरण अथवा नवीन पुल निर्माण किये जाने,
- (38) श्री अरूण भीमावद, सदस्य, शाजापुर जिले के -
(क) जनपद पंचायत मो. बड़ोदिया के श्री राम मंदिर एवं हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने,
(ख) ग्राम बीजाना में बांध (डेम) का निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम दिल्लोद (होडा) बामन नाले, तालाब की मरम्मत किये जाने, तथा
(घ) ग्राम दिल्लोद में नाके वाले खाल से नई में कुआ के पास स्टापडेम का निर्माण किये जाने,

- (39) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
(क) बल्देवगढ़ नगर में बाई-पास सड़क का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम चंदेरी में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने, तथा
(ग) ग्राम मातौल में पेयजल हेतु कुंआ का निर्माण किये जाने,
- (40) कुंवर हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) खिलचीपुर नगर के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पूर्ति किये जाने,
(ख) तह. मुख्यालय जीरापुर में आई.टी.आई. स्वीकृत किये जाने, तथा
(ग) खिलचीपुर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
- (41) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम बड़ी से काजलमाता तक डामरीकृत मार्ग बनाये जाने,
- (42) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम सिहौरी-दौनारी के घाट पर रपटा का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम मथुरापुर में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम हरचन्द बसई पर स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,
- (43) श्री मथुरालाल, सदस्य, रतलाम जिले के -
(क) ग्राम सूजलाना एवं कोठारिया में तालाब का निर्माण किये जाने,
(ख) झांगरिया नाले पर डेम निर्माण एवं अन्य कार्य किये जाने, तथा
(ग) ग्राम रतागिरी में हाई स्कूल भवन स्वीकृत किये जाने,
- (44) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) ग्राम अमाड़ा से बारही तक सड़क बनाये जाने,
(ख) ग्राम बसुरिया से मारेगांव तक सड़क बनाये जाने,
(ग) ग्राम अमाड़ा से बारछी तक सड़क बनाये जाने, तथा
(घ) ग्राम बैरागढ़ से झामर तक सड़क बनाये जाने,
- (45) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के -
(क) ग्राम ढोटी से ननावद तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम प्रेमसर से पचीपुरा होकर ननावद तक डामरीकरण किये जाने,
- (46) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम उमरबेड़ा से केली बोटी तक रोड तथा सुकलघाट (कटिंग) का निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने,
- (47) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
(क) नगर पंचायत तरीचरकलां में हायर सेकेण्ड्री स्कूल के पास स्टेडियम बनाये जाने,
(ख) तहसील ओरछा में शासकीय महाविद्यालय खुलवाये जाने,
(ग) नगर पंचायत निवाड़ी में पुलिया का निर्माण किये जाने, तथा
(घ) ओरछा एवं तरीचरकलां में कन्या हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (48) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम बमोरा के मार्ग को डामरीकृत किये जाने,
- (49) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) झोतेश्वर से उमरिया, नेगुवां से मुंगवानी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(ख) तहसील गोटेगांव के नवीन बस स्टैण्ड में शौचालय, पीने के पानी एवं रेनबसेरा का निर्माण किये जाने,
(ग) तहसील गोटेगांव में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने, तथा
(घ) तहसील गोटेगांव में नवीन बस स्टैण्ड में समतलीकरण एवं सीमेन्टेड किये जाने,
- (50) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के -
(क) ग्राम बेंकट नगर में नजूल की भूमि का पट्टा दिलाये जाने, तथा
(ख) ग्राम धनपुरी में बने अधूरे जलाशय को पूर्ण किये जाने,
- (51) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम गढी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन एवं खेल मैदान का निर्माण किये जाने,
- (52) श्री महेश राय, सदस्य, सागर जिले के -
(क) ग्राम देहरी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम पटी (बसाहरी) से बुखारा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (53) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के -
(क) ग्राम नाहरवानी में खाद्य भण्डारण हेतु गोदाम बनाये जाने,
(ख) ग्राम मानपुर से कातोती तक सड़क एवं सह-पुल का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम कटंगी से परसवाड़ा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (54) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के -
(क) ग्राम सेमलखेड़ी में नल-जल योजना उपलब्ध किये जाने,
(ख) पालीवाल महाकुम्भ में से बची 300 टंकियां नगर पंचायत सोयतकलां सुसनेर एवं ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम डोंगरगांव सोयत के उपस्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,
- (55) श्रीमती संगीता चारेल, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम अडवानिया से आमली वार्ड तक मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रोड स्वीकृत किये जाने,

- (56) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) ग्राम खुझ से बरहदी पहुँच मार्ग का डामरीकरण किये जाने, तथा
(ख) जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के उतैलानाथ ब्रदामा घाट पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
- (57) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम सिमरोदा की सोन नदी पर रपटा का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम विशनौरी में सोन नदी पर स्टापडेम बनाये जाने, तथा
(ग) ग्राम पंचायत कैमरा से विशनौरी तक पक्की रोड बनाये जाने,
- (58) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम चैनपुरिया, बुज आदि गांवों में पेयजल हेतु चम्बल नदी से पाईप लाईन या नहर स्वीकृत किये जाने,
- (59) श्री कुंवर जी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) ग्राम सुल्तानिया के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम बालोड़ी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (60) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के -
(क) ग्राम बागनखेडा से अडुनानिया तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम दैय्यत से चीचली तक सड़क का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम तुरनाल से दैय्यत तक मार्ग निर्माण किये जाने,
- (61) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के -
(क) ग्राम सूरजपुरा में शंकरजी के मंदिर का जीर्णोद्धार किये जाने, तथा
(ख) नगर पंचायत खजुराहो के स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक को पदस्थ किये जाने,
- (62) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम सिंहौनिया में सी.सी.रोड का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम किशनपुर के खेतों में आने - जाने हेतु सी.सी.रोड का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम पंचायत ऐसाह में दिनेश पचौरी के मकान से मेन रोड तक सी.सी. रोड का निर्माण किये जाने,
- (63) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के -
(क) ग्राम सेंगरवार जरकटी से कसियार तक रोड निर्माण तथा कंदास नाले पर पुलिया का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम पोड़ी में आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन का निर्माण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम गुडवा की प्राथमिक पाठशाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने,
- (64) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के -
(क) ग्राम चिपिया से कसेंर तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम सुजापुर में प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर (पहाड़ी वाली माता) तक पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने,
- (65) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डोरी जिले के -
(क) ग्राम मझगांव के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(ख) ग्राम गौरा कम्हारी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
- (66) श्री चेताराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के -
(क) ग्राम डांगवा नदी के पास क्षतिग्रस्त रपटा का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) आमला की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने,
- (67) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य, देवास जिले के -
(क) ग्राम जोलाय से कजलास तक पक्की सड़क का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम भटोनी से पीपल्या तक सड़क का निर्माण किये जाने,
- (68) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के करियाखेड़ी से रामपुरा एवं नुरियाखेड़ी से नबलपुरा मार्ग पर पुलियों की मरम्मत किये जाने,
- (69) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के इन्दरगढ़ नगर के मध्य में नाला बनाये जाने,
- (70) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के -
(क) ग्राम लेदपुखा से नेवारी के मध्य पुल का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम लमसरई की शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (71) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम बिचुआ (खमतरा) से उचेहरा तक मार्ग का निर्माण किये जाने,
(72) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम बजरंगढ़ से थाना बजरंगढ़ तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(73) श्रीमती पारूल साहू केशरी, सदस्य, सागर जिले के ग्राम जरारा में लौटना तिराहे से टीला बुजुर्ग तक सड़क का निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगदीश देवडा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.”

निर्धारित
समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

- (1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- 1 घण्टा (2) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि. (3) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि. (4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि. (5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि. (6) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरहता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- 30 मि. (7) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- (8) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 8 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- (9) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 10 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
- (10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017) पर विचार किया जाए.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. अशासकीय संकल्प

- 1 घण्टा (1) श्री के.पी.सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
“सदन का यह मत है कि प्रदेश में होने वाले समस्त स्थानीय निर्वाचनों को एक साथ कराया जाए.”.
- 30 मि. (2) सर्वश्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, निशंक कुमार जैन, सुदेश राय, यशपाल सिंह सिसौदिया, जितेन्द्र गेहलोत, डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
“यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि -
(i) ट्रेन क्रमांक-19665, खजुराहो से उदयपुर (व्हाया झांसी-धौलपुर) तथा ट्रेन क्रमांक - 19666, उदयपुर से खजुराहो प्रतिदिन चलने वाली यात्री गाड़ियों को सप्ताह में दो दिन व्हाया भोपाल-चित्तौड़-भोपाल होकर चलाया जाए,
(ii) भोपाल मंडल से चलने वाली नवीन भोपाल-खजुराहो एक्सप्रेस का स्टापेज गंजबासौदा रेलवे स्टेशन पर किया जाए,
(iii) इंदौर से चलकर हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन क्रमांक 22911/22912 क्षिप्रा एक्सप्रेस का स्टापेज सीहोर स्टेशन पर किया जाए,
(iv) उदयपुर राजस्थान से रतलाम होकर भोपाल तक एवं वापसी हेतु रात्रिकालीन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए,
(v) जम्भूतवी यात्री गाड़ी क्रमांक 12477/12478 एवं 12475/12476 का दो मिनिट का स्टापेज विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन पर किया जाए तथा
(vi) गाड़ी क्रमांक 12296 दानापुर से बंगलुरू एवं गाड़ी क्रमांक 12295 बंगलुरू से दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 11471 इंदौर से जबलपुर एवं गाड़ी क्रमांक 11472 जबलपुर से इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 12187 जबलपुर से मुम्बई तथा गाड़ी क्रमांक 12188 को मुम्बई से जबलपुर गरीवरथ एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 11093 मुम्बई से बनारस एवं गाड़ी क्रमांक 11094 बनारस से मुम्बई महानगरी एक्सप्रेस को गोटेगाँव रेलवे स्टेशन पर तथा गाड़ी क्रमांक 13202 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से राजेन्द्र नगर एवं गाड़ी क्रमांक 13201 राजेन्द्र नगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जनता एक्सप्रेस, गाड़ी क्रमांक 11464 जबलपुर से सोमनाथ एवं गाड़ी क्रमांक 11463 सोमनाथ से जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस का स्टापेज करकबेल रेलवे स्टेशन पर किया जाए.”.

भोपाल :
दिनांक : 23 मार्च, 2017

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.